an>

Title: The Minister of Micro, Small and Medium Enterprises made a statement correcting the reply given on 13.08.2014 to Unstarred Question No. 5051 by Shri B.V. Naik, MP regarding "RGUMY".

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : महोदया, मैं ""आर0जी0यू0एम0वाई0 " के बारे में श्री बी0 वी0 नाईक, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 5051 के 13.08.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5051

13 अगस्त, 2014 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरजीयूएमवाई

5051. श्री बी.बी. नाईकः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) को पूरे देश में शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत उद्यमियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार को आरजीयूएमवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री कलराज मिश्र)

(क) और (ख)ः जी, हां। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई) को सम्पूर्ण देश में कार्यशील कर दिया गया है। इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है न कि राज्यवार रूप में। इसका लक्ष्य प्रथम पीढ़ी के उन संभावित उद्यमियों जिन्होंने अनिवार्यतः उद्यमिता विकास प्रशिक्षण अथवा कौशल विकास प्रशिक्षण अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, को "उद्यमी मित्र " अर्थात् चुनिंदा प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से नए उद्यम की स्थापना और प्रबंधन, विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं कानूनी अड़चनों से निपटने और उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु पथप्रदर्शन सहायता और मदद प्रदान करना है।

यह स्कीम प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और अन्य मौजूदा उद्यमियों को सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों, उद्यमों की स्थापना करने और चलाने के लिए अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बारे में मार्गदर्शन करने और उन्हें बैंक ऋण इत्यादि उपलब्ध कराने में सहायता कराने के लिए "उद्यमी हेल्पलाइन " (सूलमउ के लिए एक कॉल सेन्टर, टॉल फ्री नंबर 1800-180-6763) के माध्यम से सूचना, सहायता, मार्गदर्शन और मदद भी प्रदान करती है।

(ग)ः सरकार राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमी मित्र के रूप में सूचीबद्ध संगठनों को उनकी सेवाओं के लिए पथप्रदर्शन प्रभार का भुगतान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत पथप्रदर्शन सहायता प्राप्त करने के लिए उद्यमी मित्र के साथ पंजीकृत लाभार्थियों (उद्यमियों) की राज्यवार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

(घ)ः पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अधीन परिव्यय एवं व्यय निम्नलिखित हैः-

(आंकड़े करोड़ रू. में)

वर्ष	परिव्यय (संशोधित अनुमान)	वास्तविक व्यय
2011-12	**4.20**	**1.61**
2012-13	**3.00**	**2.28**
2013-14	**2.83**	**2.31**

(ड.)ः नहीं, महोदया।

(च)ः प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-1

श्री बी.बी.नाईक द्वारा पूछे गए दिनांक 13.08.2014 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5051 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध आरजीयूएमवाई स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों (उद्यमियों) की वर्षवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2.	आध्र प्रदेश	414	121	77
3.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1362	5516	4268
5.	बिहार	2	3	0
6.	चण्डीगढ़	5	1	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0
8.	दादर नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	3	179	0
11.	गोवा	2	178	0
12.	गुजरात	124	73	250
13.	हरियाणा	2	220	0
14.	हिमाचल प्रदेश	51	12	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
16.	झारखंड	128	2	64
17.	कर्नाटक	26	3	0
18.	केरल	0	1	0
19.	लक्षद्वीप	1	0	0
20.	मध्य प्रदेश	10	2	0
21.	महाराष्ट्र	1368	38	2
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	2	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	ओडिशा	127	569	147
27.	पांडेचेरी	2	0	0
28.	पंजाब	139	3	0
29.	राजस्थान	293	548	357

30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	570	119	0
32.	त्रिपुरा	454	1100	1430
33.	उत्तर प्रदेश	2802	2729	2410
34.	उत्तराखण्ड	64	14	0
35.	पश्चिम बंगाल	22	202	83
	कुल	7971	11635	9088